न्यायामूर्ति जवाहर लाल गुप्ता और एन. सी. खिची, के समक्ष
राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड,-अपीलकर्त्ता

बनाम
श्रीमती माया देवी और अन्य,-उत्तरदाता
1993 का एफ. ए. ओ. न. 1376
27 अगस्त, 1998,

कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923-धारा 4-ए, खंड (3) कर्मचारी की मृत्यु-एक महीने के भीतर मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नियोक्ता-ऐसा करने में विफलता पर जुर्माना लगाया जाता है - क्या नियोक्ता समय के भीतर इस तरह के मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में बीमा कंपनी जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है- कहा गया यदि चूक नियोक्ता की है तो बीमा कंपनी पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

अभिनिर्णत : दावा श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के प्रावधानों की व्याख्या पर निर्भर करता है।धारा 4 ए में कहा गया है कि मुआवजे का भुगतान जितनी जल्दी हो सके किया जाएगा।खंड (3) अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि "जहां कोई नियोक्ता इस अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान करने की तारीख से एक महीने के भीतर भुगतान करने में चूक करता है, तो आयुक्त जुर्माना लगाने और ब्याज देने के लिए भी सक्षम होगा। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि क़ानून के तहत, दावेदारों को मुआवजा देने का दायित्व नियोक्ता का है। यदि मुआवजे के भुगतान में चूक होती है, तो आयुक्त जुर्माना लगाने में सक्षम है। यह जुर्माना भी नियोक्ता को ही भरना होगा। ऐसे मामले में जहां नियोक्ता बीमाकृत है, वह अनुबंध की शर्तों के अनुसार बीमाकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति पाने का हकदार हो सकता है।

(पैरा 8)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि नियोक्ता भुगतान करने में विफल रहा था।इस प्रकार, प्राधिकरण ने क्षतिपूर्ति प्रदान की है।चूँकि चूक नियोक्ता की है, इसलिए बीमा कंपनी पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।

(पैरा 10)

रामेश्वर पुरी, अधिवक्ता-अपीलार्थियों की ओर से।

एम. एल. पुरी, अधिवक्ता-प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के लिए।•
पी. के. मुतनेजा, अधिवक्ता-प्रतिवादीगण संख्या 5 के लिए

निर्णय

न्यायामूर्ति जवाहर लाल गुप्ता, (मौखिक)

(1) क्या बीमा कंपनी ऐसे मामले में जुर्माने के भुगतान के लिए उत्तरदायी है जहां नियोक्ता कर्मचारी के परिवार को चोट या मृत्यु की क्षतिपूर्ति करने में विफल रहता है?यह संक्षिप्त प्रश्न है जो इस मामले में विचार के लिए उठा है। कुछ तथ्यों पर गौर किया जा सकता है।
(2) धरम सिंह मैसर्स मार्कंडा टेक्सटाइल, गोहाना में कार्यरत थे।13 अक्टूबर, 1991 को उनके ऊपर कपास की एक गांठ गिर गई।उसकी मौत हो गई।उनकी विधवा और बच्चों ने मुआवजे के लिए याचिका दायर की।उन्होंने दावा किया कि वह 46 वर्ष के थे और उन्हें रु। 904 प्रति माह वेतन मिलता था। प्रारंभ में, केवल नियोक्ता को ही एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया था।आपत्ति उठाए जाने पर, यहां तक कि बीमाकर्ता , राष्ट्रीय बीमा कंपनी को भी शामिल किया गया था।
(3) मामले पर विचार करने के बाद, आयुक्त ने पाया कि दावेदार 58,966 रुपये मुआवजे के भुगतान के हकदार थे। यह भी माना गया कि भुगतान में देरी हुई थी। नतीजतन, उन्होंने 40 प्रतिशत का जुर्माना लगाया। इस प्रकार, कुल मुआवजा रु 82, 552.40 पैसे से सम्मानित किया गया। यह राशि इस बीमा कंपनी ने ही देनी थी।

(4) आयुक्त के आदेश से व्यथित होकर बीमा कंपनी ने वर्तमान अपील दायर की है।यह अपील एक विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रारंभिक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थी।ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों के वकील इस गलत धारणा में थे कि इस मामले का मुद्दा 1992 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1329 में एक खंड पीठ के समक्ष लंबित था।इस प्रकार, लेटर पेटेंट अपील(एकस्व पत्रीय अपील) के साथ अपील पर सुनवाई करने का आदेश दिया गया।दोनों मामलों को एक साथ सूचीबद्ध किया गया था।पीठ ने 24 अगस्त, 1998 को 1992 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1329 का निपटारा किया। चूंकि इस मामले के वकील उपलब्ध नहीं थे, इसलिए यह अपील आज सुनवाई के लिए आई है।

(5) पक्षों के वकील ने स्वीकार किया है कि इस मामले में उत्पन्न होने वाला मुद्दा उस मुद्दे से पूरी तरह से अलग है जो पत्र पेटेंट अपील में विचार के लिए आया था।हालाँकि, आगे की देरी से बचने के लिए, वकील प्रार्थना करते हैं कि मामले की सुनवाई की जाए और निर्णय लिया जाए।

(6) हमने पक्षों के वकील को सुना है।

(7) अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री रामेश्वर पुरी ने तर्क दिया है कि आयुक्त ने बीमा कराने में गलती की है। कंपनी जुर्माने के रूप में दी गई राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।नियोक्ता की ओर से, श्री पी. के. मुतनेजा द्वारा यह आग्रह किया गया है कि बीमा कंपनी नियोक्ता को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है और इस प्रकार, नियोक्ता द्वारा जो कुछ भी देना है वह बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए।

(8) पक्षों के वकीलों की दलीलों पर विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि दावा दावा श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के प्रावधानों की व्याख्या पर निर्भर करता है।धारा 4 ए में कहा गया है कि मुआवजे का भुगतान जितनी जल्दी हो सके किया जाएगा। खंड (3) अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि जहां कोई नियोक्ता इस अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान करने की तारीख से एक महीने के भीतर भुगतान करने में चूक करता है, तो आयुक्त जुर्माना लगाने और ब्याज देने के लिए भी सक्षम होगा। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि क़ानून के तहत, दावेदारों को मुआवजा देने का दायित्व नियोक्ता का है। यदि मुआवजे के भुगतान में चूक होती है, तो आयुक्त जुर्माना लगाने में सक्षम है। यह जुर्माना भी नियोक्ता को ही भरना होगा। ऐसे मामले में जहां नियोक्ता बीमाकृत है, वह अनुबंध की शर्तों के अनुसार बीमाकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति पाने का हकदार हो सकता है।

(9) वर्तमान मामले में क्या स्थिति है?

(10) जब भुगतान करने का समय आया तो नियोक्ता विफल रहा था।इस प्रकार, प्राधिकरण ने क्षतिपूर्ति प्रदान की है।चूँकि चूक नियोक्ता की है, इसलिए बीमा कंपनी पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।ऐसा प्रतीत होता है कि यह वही नियम है जो **वेद प्रकाश गर्ग बनाम प्रेमी देवी और अन्य** [1] में सर्वोच्च न्यायालय के अधिपतियों द्वारा प्रतिपादित किया गया है।

(11) उपरोक्त के दृष्टिकोण से, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि प्राधिकरण ने बीमाकर्ता को जुर्माने के रूप में दी गई राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराकर गलती की है। उस सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है। परिणामस्वरूप, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलार्थी मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, लेकिन उस जुर्माने का नहीं जो आयुक्त द्वारा लगाया गया था।हालाँकि, हम स्पष्ट करते हैं कि यदि दावेदारों को जुर्माने की राशि पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है, तो वे उपयुक्त मंच के समक्ष अपना समाधान मांगने के हकदार होंगे।

(12) उपरोक्त परिस्थितियों में, पक्षों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

जे एस टी

1(1997-3) 117 P.L.R.606

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनजोत कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
गुरूग्राम, हरियाणा